न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 353 / 2018

प्रार्थीगण:—

1 भागीलाल पुत्र जीताराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1 मैनादेवी पत्नी सुजाराम गहलोत जाति माली निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

2 रामचन्द्र पुत्र जीताराम जाति माली निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

3 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री जीवराजसिंह अप्रार्थी उपस्थित।

दिनांक — 21/08/2023

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी सुदा कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम वर्तमान खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैक्टर आई हुई स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 रामचन्द्र दोनों सगे भाई है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1916 1925 1929 1930 1935 1953 कुल खसरा नम्बर 6 कुल रकबा 1.2300 हैक्टर को आपस में आपसी पूर्ण सहमति से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत बंटवाड़ा दिनांक 26/5/2008 को लिखवाकर इस पर अपने हस्ताक्षर कर तहसील कार्यालय सोजत में उपस्थित होकर दिनांक 3/7/2008 को बंटवाड़ा तहरीर व तकमील करवाकर तस्दीक करवा दिया तब से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 'पर अलग—अलग अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि काबिज हो गये है तथा अलग—अलग काश्त करने लगे। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार खसरा नम्बर 1929 रकबा 0.3500 हैक्टर के सात हिस्से किये गये जिसमें से खसरा नम्बर 1929/1, 1929/3, 1929/4 अप्रार्थी संख्या 2 के बंट व हिस्से में आये तथा खसरा नम्बर 1929 / 2, 1929 / 5, 1929 / 6 प्रार्थी के बंट व हिस्से में आये तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1930 रकबा 0.1500 हैक्टर के पांच हिस्से किये गये, जिसमें से खसरा नम्बर 1930/1, 1930 / 2 अप्रार्थी संख्या 2 के बंट व हिस्से में आये तथा खसरा नम्बर 1930/3 व 1930/4 प्रार्थी के बंट व हिस्से में आये। खसरा नम्बर 1929 रकबा 0.0100 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1930 रकबा 0.0100 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के लिए रास्ते के उपयोग हेतु सामलाती रखा गया। उक्त बंटवाड़ा माफिक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 अलग—अलग काबिज हुए तथा प्रार्थी अपने बंट व हिस्से पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की अनुपस्थिति में 5—6 माह पहले प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैक्टर के उतरी तरफ कुछ हिस्से पर अवैध रूप से अतिचार करते हुए नीचे खोदकर उस पर ताबड़तोड़

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

नाजायज निर्माण कार्य कर दिया। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' है, जो प्रार्थना पत्र का भाग है, जिसमें मार्क ए.बी.सी.डी. लाल रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अवैध तरीके से प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिचार किया है तथा उस पर तावडतोड़ निर्माण कार्य करवाया है, प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1929/6 का नजरी नक्शा परिशिष्ठ क में मार्क ए. बी. सी. डी. लाल रंग से दर्शाया गया भाग पर अप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज तरीके से अतिचार करते हुए निर्माण कार्य करवाया है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिचारी है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 को निर्माण कार्य करने एवं अतिचार करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अवैध तरीके से प्रार्थी की कृषि भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य की जानकारी होते ही प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पति को निर्माण कार्य रोकने एवं आगे और निर्माण कार्य करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पति ने प्रार्थी को कहा कि "यह जमीन मैंने रामचन्द्र पुत्र जीताराम से खरीद की है, तथा उसकी रजिस्ट्री भी करवायी हुई है।" तब प्रार्थी ने दिनांक 19/2/2013 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करवायी गई रजिस्ट्री बेचान दस्तावेज की नकल उप पंजीयन कार्यालय सोजत से प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 2 रामचन्द्र ने खसरानम्बर 1929/4 रकबा 0.0600 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1930 / 2 रकबा 0.0400 हैक्टर में से रकबा 0.0135 हैक्टर कृषि भूमि को बेचान किया है। बेचान रजिस्ट्री के साथ संलग्न ले आऊट प्लान बिल्कुल ही गलत बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैक्टर की कृषि भूमि एवं खसरा नम्बर 1929 1930 जो रास्ता हेतु रखी गई कृषि भूमि उस पर लकड़ी का बुरादा डालना शुरू कर दिया तथा खसरा नम्बर 1929/6 की शेष कृषि भूमि पर से वाद को बेदखल कर अप्रार्थी संख्या 1 निर्माण कार्य करने पर उतारू है, दिनांक 15/6/2013 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को एलानियां धमकियां दी कि खसरा नम्बर 1929 / 6 की शेष कृषि भूमि से बेदखल कर वहां पर लकड़ीयां एवं उसका बुरादा डालकर कृषि भूमि का उपजाऊपन भी खत्म कर देंगे एवं शेष कृषि भूमि पर भी निर्माण कार्य कर देगे। अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि को हड़प कर कब्जा करने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1929/6 के कुछ हिस्से पर अवैध तरीके से अतिचार करते हुए उस पर मकान निर्माण कार्य कर देने से प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध तरीके से अतिचार करते हुए नाजायज तरीके से निर्माण कार्य कर देने से प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति हो रही है. प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि से महरूम होना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी की अपूर्णिय क्षति का मूल्याकन रूपये में नही आंका जा सकता हैं। अप्रार्थी प्रार्थी के खसरा नम्बर 1929/6 की शेष कृषि भूमि पर भी अवैध तरीके से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैक्टर की कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से जबाब प्रा0 पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

संख्या दो के विरूद्ध बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है, जिसमें प्रार्थी कतई सफल नही हो सकता। सरहद सोजत चक संख्या एक मे खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैक्टर भूमि आई हुई अवश्य है। परन्तु वो भूमि प्रार्थी अकेले की हो यह तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 26.05.2008 को जिस बंटवारनामा का उल्लेख किया गया है। वो बंटवारनामा दिनांक 03.07.2008 को तहरीर तकमिल करना बताया गया है जो बटवारनामा लिखे जाने के करीब डेढ महिने बाद प्रस्तुत किया गया है, इसका कोई कारण प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या दो अक्सर बीमार रहता है, बीमारी के कारण अप्रार्थी संख्या दो ने मात्र हस्ताक्षर किये थे, बंटवारनामा अप्रार्थी संख्या दो को न तो पढ़कर सुनाया गया, न ही अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त बंटवारनामा के बारे में अपनी सहमति दी थी जिस बंटवारनामा के आधार पर खसरा नम्बर 1929/6 जमीन अपने हिस्से में आना लिखा है, वह गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर कोई प्रार्थी का कोई कब्जा नही है । प्रार्थी का यह लिखना कि अप्रार्थी संख्या एक ने कोई नीचे खोदकर ताबडतोड निर्माण कार्य किया हो, गलत है। नक्शा भी गलत पेश किया गया है। नक्शे में वर्णित मार्क ए. बी. सी. डी. लाल रंग से दर्शित भूमि पर अप्रार्थी का अतिक्रमण नहीं होकर पुराना कब्जा है। नाजायज रूप से अतिचार करने का आरोप गलत लगाया गया है अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में नियमानुसार सही रजिस्ट्री करवाई गई है। उसी के अनुसार अप्रार्थी संख्या एक काबिज है प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश । करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा 100X80 कुल 8000 वर्ग फुट भूमि पर निर्माण करने का लिखा गया है वह गलत है। अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा खरीद सुदा भूमि पर ही निर्माण किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जो रजिस्ट्री करवाई गई है उसे नल एण्ड वाइड घोषित कराने का इस न्यायालय को कोई अधिकार नही है, न ही प्रार्थी को ऐसा प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार है। अतः पैरा संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह लिखना कि अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में किया गया बेचान प्रार्थी की भूमि का किया गया हो यह गलत है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार बेचान किया गया है और उसी बेचान के अनुसार सही निर्माण किया गया है, जिसके हटाने का प्रार्थी को कोई अधिकार है और न ही प्रार्थी किसी प्रकार से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या एक का खरीद के समय से तथा अप्रार्थी संख्या का पुराना कब्जा है, जो अपनी खातेदारी भूमि का है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया हैं। खारिज फरमाया जाये । प्रार्थी का यह लिखना कि बिना आबादी में परिवर्तन किये व सक्षम अधिकारी से इजाजत लिये, अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप जो लगाया गया है वह गलत है। प्रार्थी की किसी प्रकार से 20 फुट जमीन पर अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा कोई अवैध कब्जा नही किया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र काविले खारिज के है, जो खारिज फरमाया जाये। प्रार्थना पत्र में विरोधाभासी तथ्यों का उल्लेख किया है। एक तरफ अवैध मकान निर्माण करने का लिखा है और एक तरफ आरा मशीन लगाकर व्यवसायिक उपयोग करने का लिखा है। सर्वप्रथम प्रार्थी ने दोनो आरोप गलत लगाये गये है जो मौके व तथ्यों से विपरित है। प्रार्थी स्वयं इस बात को स्पष्ट करे कि इस वाद में वह क्या प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी स्वयं क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नही आया है। जब कि जिस रास्ते की भूमि पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक पर निर्माण करने का आरोप लगाया है वह गलत है। बल्कि अप्रार्थी संख्या दो के प्लोट में जाने का रास्ता 16 फुट का मौके पर मौजूद है, उक्त रास्ते को प्रार्थी बंद करने पर उतारू है व प्रार्थी ने उक्त रास्ते पर अवैध रूप से कंकरीट डाल दी है। जिसे हटाया जाना

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

आवश्यक है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या दो के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है, जो खारिज किया जाये। प्रार्थी के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है। जब अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या एक को किया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा या अपूर्णीय क्षति की कोई संभावना नही है। अप्रार्थी संख्या दो के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है।

न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2019/792 दिनांक 23.10.2019 के जरिए तहसीलदार, सोजत को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार, रोहट ने अपने पत्रांक/राजस्व/2022/2847 दिनांक 18.11.2022 के जरिए मौका रिपोर्ट पेश कर अंकित किया है कि विवाद ग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैं० नाप चौक किया गया। खसरा नम्बर 1929/6 की लम्बाई 24.38 मीटर व चौडाई 17.70 मीटर है। उक्त खसरे पर मैनादेवी पत्नि सुजाराम कौम माली का कब्जा है। मौके पर खसरा नम्बर 1929/6 में चार दीवारी की हुई है तथा पक्का मकान व फर्नीचर का गौदाम बना हुआ है।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैक्टर जिसमें से कुछ हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये अतिचार जो नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में मार्क ए.बी.सी. डी. लाल रंग से दर्शाया गया है, जिस पर और निर्माण कार्य नही करे तथा उक्त निर्माण किये गये मकान में आरा मशीन के जरिये लकड़ी काटने एवं औधोगिक उपयोग में नही लेने तथा प्रार्थी के शेष कब्जा सुदा कृषि भूमि पर कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करे, न ही लकड़ी का बुरादा आदि डालकर उपजाऊपन खत्म करे, न ही किसी नोकर एजेन्ट आदि से करावे एवं खसरा नम्बर 1929 एवं 1930 जो रास्ते के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि रखी गयी है, में प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट पैदा नही करने हेतु, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया है कि प्रार्थी स्वयं क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नही आया है। जबकि जिस रास्ते की भूमि पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक पर निर्माण करने का आरोप लगाया है वह गलत हैं। बल्कि अप्रार्थी संख्या दो के प्लोट में जाने का रास्ता 16 फुट का मौके पर मौजूद है, उक्त रास्ते को प्रार्थी बंद करने पर उतारू है व प्रार्थी ने उक्त रास्ते पर अवैध रूप से कंकरीट डाल दी है। जिसे हटाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या दो के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है, जो खारिज किया जाये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैं० लम्बाई 24.38 मीटर व चौडाई 17.70 मीटर है। उक्त खसरे पर मैनादेवी पत्नि सुजाराम कौम माली का कब्जा बताया गया है। प्रकरण में पक्षकारों के हक अधिकारों का विनिश्चय मूल वाद में जबाब दावा रेकर्ड पर लेकर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर बाद विवेचन/

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

विश्लेषण गुणावगुण के आधार पर तय किये जायेगें। वर्तमान परिपेक्ष्य में वादस्थ भूमि के मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध अप्रार्थी इस आश्य की जारी की जाती है कि मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1929/6 रकबा 0.0500 हैक्टर की कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाता है एवं निर्माण इत्यादि करने से मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/08/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत